M.P. JUDICIAL SERVICES MAINS EXAMINATION TRANSLATION PRACTICE SET 1

TRANSLATIONS – ENGLISH

1. Nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under Article 368.

2. Provided that nothing in this section shall apply to any person who has an independent title to such accommodation.

3. The expression "disaffection" includes disloyalty and all feelings of enmity.

4. President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.

5. The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made.

6. A "special law" is a law applicable to a particular subject.

7. The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

8. It extends to the whole of Madhya Pradesh.

9. Nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defence.

10. Parliament may by law admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.

11. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, is said to do that thing "dishonestly".

12. The standard rent shall be fixed for a tenancy of twelve months.

KARAT LAWZ ACADEMY

13. The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.

14. In so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express.

15. "Section" means a section of the Act.

KARAT LAWZ ACADEMY

TRANSLATIONS – HINDI

1. इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होंगी I

2. परन्तु इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसका कि ऐसे स्थान पर स्वतंत्र हक़ हो I

3. "अप्रीति " पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं I

4. राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा I

5. प्रस्थापना की संसूचना तब सम्पूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है I

6. "विशेष विधि" वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो I

7. राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमे से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा I

8. इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है I

9. कोई बात अपराध नहीं हैं, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है I

10. संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी I

KARAT LAWZ ACADEMY

11. जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है की एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को "बेईमानी से" करता है, यह कहा जाता है l

12. मानक भाड़ा बारह मास की अभिधृति के लिए नियत किया जायेगा I

13. राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालको को उस समय तक जब तक की वे छः वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा I

14. जहाँ तक कि किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है, वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है I

15. "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है I

KARAT LAWZ ACADEMY